F.No.A.12026/1/2021-EA
Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare
(Economic Administration Division)

4-E, Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated the 28 January, 2021.

To

1. The Secretary (Ministries/ Departments under Central Govt.)
2. The Secretary(Agriculture Department),
   (All State Governments)
3. The Secretary(Planning Department),
   (All State Governments/Union Territories),
4. The Registrar,
   (All Agricultural Universities).

Subject: Advertisement for filling up the post of Chairman, Commission for Agricultural Costs & Prices(CACP) in Level 17 (Rs.225000) of Pay Matrix, on deputation (including short-term contract) basis, for a period of five (05) years- regarding.

****

Sir,

I am directed to state that one post of Chairman in Commission for Agricultural Costs & Prices (CACP), an attached office under administrative control of this Department, in Level 17 (Rs.225000) of Pay Matrix, is required to be filled up on Deputation(including short-term contract) basis, for a period of five (05) years, for which the educational and other qualifications have been prescribed as under:

Deputation (including Short Term Contract) :-

(I) Officers of the Indian Economic Service or Indian Statistical Service -

- (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with atleast two years' regular service in Level 15 (Rs.182200-224100) of the Pay Matrix; or

(II) Officers under the Central Government or State Governments possessing -

- (i) Ph. D. in Agricultural Economics or Agricultural Statistics from a recognised University;
- (ii) twenty years of teaching or research experience and evidence of extensive research work on different aspects of agriculture, including agricultural trade policy;
- (iii) ability to apply quantitative techniques; and
- (iv) holding analogous posts on regular basis or with atleast two years' regular service in the Level 15 (Rs.182200-224100) of the Pay Matrix; or

....2/-

(III) Persons possessing the following educational qualifications and experience -

(i) Ph. D. in Agricultural Economics or Agricultural Statistics from a recognised University;
(ii) twenty years of teaching or research experience and evidence of extensive research work on different aspects of agriculture including agricultural trade policy;
(iii) ability to apply quantitative techniques; and
(iv) must have published at least five technical papers or work on agriculture prices, marketing or trade policy related to Agriculture in reputed journal.

(IV) The Selection shall be made by a Search-cum-Selection Committee.

Eligibility of Age, mode of appointment and period of appointment:

(V) Persons up to 56 years of age on the date of closing of application seeking deputation and completing term on retirement on superannuation or for a maximum period of deputation of five years, whichever is earlier; and

(VI) Persons up to 59 years of age on the date of closing of application seeking short-term (three years) contract.

2. Duties attached to the post of Chairman, Commission for Agricultural Costs and Prices, in brief, are as follows:

(a) provide leadership to the Commission in terms of ideas and intellectual inputs; (b) chair formal meetings of the Commission (c) interact with the State Governments, Central Ministries/Departments, Para-statal Organisation, Trade/ Industry Organisations, Cooperative Institutions etc.; (d) generate consensus through dialogues within the Commission and the rest of the world; (e) refine methodologies for economic analysis of various parameters; (f) analyse and assess economic situation, long and short term, particularly with reference to the agricultural sector; and (g) guide and supervise the overall functioning of the Commission.

3. The officer selected on 'deputation' basis will have the option to draw his pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of the post in accordance DOPT's O.M. No.2/22(B)/2008-Estt. (Pay II) dated 3rd September, 2008 and O.M. No.6/8/2009 -Estt. (Pay II) dated 17.06.2010 as amended from time to time.

4. Applications of only such officer will be considered as are routed through proper channel and are accompanied by (i) Bio-data (in triplicate) in the enclosed proforma (ii) Photocopies of Annual Confidential Reports/Annual Performance Appraisal Reports of last five years, attested (signed & stamped) on each page by an officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India (iii) Integrity Certificate (iv) Certificate stating that no vigilance case is either pending or contemplated against the officer (v) No Penalty Certificate stating that no major/minor penalty has been imposed on the officer or a statement giving details of major/minor penalties imposed on the officer, if any, during the last 10 years.

....3/-

5. Applications of willing, suitable and eligible officers and those who could be spared in the event of their selection, may kindly be forwarded to Shri Alok Nigam, Joint Director (EA), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Room No.4-E, Krishi Bhawan, New Delhi – 110001, **within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News/Rozgar Samachaar**. While forwarding the application, it may also be verified and certified that the particulars furnished by the officers are correct. The applications in the prescribed format, received without being countersigned by the Head of Department in the manner provided for in the format, will be summarily rejected.

6. Applications received after expiry of last date or without the ACRs/APARs attested as above, Vigilance Clearance, Integrity Certificate and a statement of major/minor penalty, if any, imposed on the officers during the last 10 years or otherwise found incomplete, shall liable to be rejected.

7. The aforesaid vacancy may kindly be given wide publicity in your Department/Organisation. The application proforma can also be downloaded from the Department's website at **htpp://agricoop.nic.in/en/recruitment**.

Yours faithfully,

(Alok Nigam)
Joint Director (EA)
Tel:23384930

Copy to:

1. All Ministries/Departments of the Government of India. It is requested that the vacancy may please be given wide publicity by circulating it in the subordinate and attached offices, Research Institutions under their administrative control.
2. All Attached and Subordinate offices, under the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare.
3. Ministry of Statistics & Programme Implementation/ Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.
4. Department of Secondary & Higher Education, Ministry of Human Resource Development, with a request to circulate the vacancy amongst all the Central/State/Deemed Universities of India other than Agricultural Universities.
5. Chairman, CACP, with the request that eligible officials, about which the Commission has information, may be asked to apply in the prescribed proforma along with their curriculum vitae.
6. The Secretary, ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi. He is requested to have the vacancy circulated to the Recognised Research Institutes, etc.
7. NIC, DOPT, North Block for placing this circular on the website of DOPT.
8. NIC, DAC&FW, Krishi Bhawan, for placing this circular on the website of DAC&FW.

Alok Nigam)
Joint Director (EA)

BIO-DATA/ CURRICULUM VITAE PROFORMA

1.Name and Address (in Block Letters)	
2.Date of Birth (in Christian era)	
3.i) Date of entry into service	
ii) Date of retirement under Central/State Government Rules	
4.Educational Qualifications	
5. Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. **(If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)**	

Qualifications/ Experience required as mentioned in the advertisement/ vacancy circular	**Qualifications/ experience possessed by the officer**
Essential	**Essential**
A) Qualification	A) Qualification
B) Experience	B) Experience
Desirable	**Desirable**
A) Qualification	A) Qualification
B) Experience	B) Experience

5.1 Note: This column needs to be amplified to indicate Essential and Desirable Qualifications as mentioned in the RRs **by the Administrative Ministry/Department/Office** at the time of issue of Circular and issue of Advertisement in the Employment News.

5.2 In the case of Degree and Post Graduate Qualifications Elective/ main subjects and subsidiary subjects may be indicated **by the candidate**.

6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requisite Essential Qualifications and work experience of the post.	

6.1 **Note**: **Borrowing Departments are to provide their specific comments/ views confirming the relevant Essential Qualification/ Work experience possessed by the Candidate (as indicated in the Bio-data) with reference to the post applied.**

7. Details of Employment, in chronological order. **Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.**

Office/Institution	Post held on regular basis	From	To	*Pay Band and Grade Pay/Pay Scale of the post held on regular basis	Nature of Duties (in detail) highlighting experience required for the post applied for

***Important**: Pay-band and Grade Pay granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned . Only Pay Band and Grade Pay/ Pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below;

Office/Institution	Pay , Pay Band, and Grade Pay drawn under ACP / MACP Scheme	From	To

8.Nature of present employment i.e. Ad-hoc **or** Temporary **or** Quasi-Permanent **or** Permanent	
9.In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state-	

a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/contract	c) Name of the parent office/organization to which the applicant belongs.	d) Name of the post and Pay of the post held in substantive capacity in the parent organisation

9.1 Note: In case of Officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre/ Department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity certificate. **9.2 Note**: Information under Column 9(c) & (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/ organization but still maintaining a lien in his parent cadre/ organisation	

10. If any post held on Deputation in the past by the applicant, date of return from the last deputation and other details.	
11.Additional details about present employment: Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column) a) Central Government b) State Government c) Autonomous Organization d) Government Undertaking e) Universities f) Others	
12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.	
13. Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale	

14.Total emoluments per month now drawn

Basis Pay in the PB	Grade Pay	Total Emoluments

15. In case the applicant belongs to an Organisation which is not following the Central Government Pay-scales, the latest salary slip issued by the Organisation showing the following details may be enclosed.

Basic Pay with Scale of Pay and rate of increment	Dearness Pay/interim relief /other Allowances etc., (with break-up details)	Total Emoluments

16.A Additional information, if any, relevant to the post you applied for in support of your suitability for the post. (This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii)	

professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/Advertisement) **(Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient)**	
16.B Achievements: The candidates are requested to indicate information with regard to; (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/Scholarships/Official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/institutions/societies and; (iv) Patents registered in own name or achieved for the organization (v) Any research/ innovative measure involving official recognition vi) any other information. **(Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)**	
17. Please state whether you are applying for deputation (ISTC)/Absorption/Re-employment Basis.**#** (Officers under Central/State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government Organizations are eligible only for Short Term Contract)	
# (The option of 'STC' / 'Absorption'/'Re-employment' are available only if the vacancy circular specially mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or "Re-employment").	
18. Whether belongs to SC/ST	

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/ details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

(Signature of the candidate)

Address______________________

____

Date__________________

Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy Circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

2. Also certified that;

i) There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/Smt.______

ii) His/ Her integrity is certified.

iii) His/ Her CR Dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed..

iv) No major/ minor penalty has been imposed on him/ her during the last 10 years **Or** A list of major/ minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

____

(Employer/ Cadre Controlling Authority with Seal)

मि.सं.ए.12026/1/2021-ईए

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

(आर्थिक प्रशासन प्रभाग)

4-E, कृषि भवन, नई दिल्ली ।

दिनांक: 28 जनवरी, 2021।

सेवा में,

1. सचिव, (केंद्र सरकार के अधीन मंत्रालय/विभाग)
2. सचिव (कृषि विभाग) (सभी राज्य सरकारें)
3. सचिव (योजना विभाग) (सभी राज्य सरकारें/संघ शासित राज्य)
4. रजिस्ट्रार (सभी कृषि विश्वविद्यालयों)

विषय: कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) में अध्यक्ष पद को, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 17 (रु.225000) में, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर, पाँच वर्ष की अवधि के लिए भरे जाने हेतु भर्ती का विज्ञापन ।

****

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस विभाग के संलग्न कार्यालय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में अध्यक्ष पद को, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 17 (रु॰225000) में, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर, पाँच वर्ष की अवधि के लिए भरे जाने की आवश्यकता हैं, जिसके लिए निम्नलिखित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं निर्धारित की गयी हैं :

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

(I) भारतीय आर्थिक सेवा या भारतीय सांख्यिकी सेवा के ऐसे अधिकारी :-

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 (रु.182200-224100) में कम से कम दो वर्ष नियमित सेवा की हो; या

(II) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी जिनके पास -

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र या कृषि सांख्यिकी में पीएचडी; और

(ii) अध्यापन या अनुसंधान का बीस वर्ष का अनुभव और कृषि व्यापार नीति जिसके अंतर्गत कृषि के विभिन्न पहलुओं सम्बन्धी विस्तृत अनुसंधान कार्य के साक्ष्य भी हैं; और

(iii) मात्रात्मक तकनीकी को लागू करने की योग्यता; और

(iv) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 (रु.182200-224100) में कम से कम दो वर्ष नियमित सेवा की हो; या

(III) ऐसे व्यक्ति जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों;

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र या कृषि सांख्यिकी में पीएचडी ;

(ii) अध्यापन या अनुसंधान का बीस वर्ष का अनुभव और कृषि व्यापार नीति जिसके अंतर्गत कृषि के विभिन्न पहलुओं सम्बन्धी विस्तृत अनुसंधान कार्य के साक्ष्य भी हैं;

(iii) मात्रात्मक तकनीकी को लागू करने की योग्यता;

(iv) प्रतिष्ठित जर्नल में कृषि मूल्यों, कृषि विपणन या व्यापार नीति से संबंधित कार्य या कम से कम 5 तकनीकी शोध पत्रों का अनिवार्य प्रकाशन ।

(IV) खोजबीन-सह-चयन समिति द्वारा चयन किया जाएगा ।

आयु की पात्रता, नियुक्ति की पद्धति और नियुक्ति की अवधि

(V) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष और अधिवर्षिता के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति की अवधि पूरी करने या प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी करने या इसमें से जो भी पूर्वतर हो, होगी ।

(VI) अल्पकालिक (तीन वर्ष) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की आयु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 59 वर्ष होगी ।

2. अध्यक्ष, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के पद से जुड़े कार्यों का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है: (अ) विचारों एवं बौद्धिक आगतों के संदर्भ में आयोग को नेतृत्व प्रदान करना ; (ब) आयोग की औपचारिक बैठकों की अध्यक्षता करना ; (स) राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालय/विभागों, अंतर-राज्यीय संगठन, व्यापार/उद्योग संगठन, सहकारी संस्थानों इत्यादि के साथ विचार-विमर्श करना ; (द) आयोग और विश्व के शेष हिस्सों में संवाद के माध्यम से आम सम्मति बनाना ; (ड) आर्थिक विश्लेषण के विभिन्न पैरामीटरों के लिए कार्य पद्धति को सुधारना ; (च) आर्थिक स्थितियों, दीर्घ एवं अल्पकालिक, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के संदर्भ में विश्लेषण और मूल्यांकन करना ; और (छ) आयोग के समग्र कार्य प्रचालन का मार्गदर्शन तथा अधिवीक्षण करना ।

3. प्रतिनियुक्ति आधार पर चयनित अधिकारी के पास विकल्प होगा कि वह अपना ग्रेड वेतन जमा प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता प्राप्त करें अथवा समय समय पर यथासंशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 2/22(ख)/2008-स्था.(वेतन-2) दिनांक 3 सितम्बर, 2008 और का.ज्ञा.सं.6/8/2009 स्था.(वेतन-2) दिनांक 17.06.2010 के अनुरूप पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवा लें ।

4. केवल ऐसे अधिकारियों/उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो कि उचित माध्यम से प्रेषित किए जायेंगे और साथ में निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न किए जायेंगे :- (i) संलग्न प्रपत्र के अनुरूप जीवनवृत (तीन प्रतियों में), (ii) पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों /वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्टों की फोटो प्रतियाँ जिन्हें प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम भारत सरकार के अवर सचिव के रैंक के अधिकारी ने सत्यापित (हस्ताक्षरित और मोहर साथ में मोहरें) किया हो, (iii) सत्यनिष्ठ प्रमाण-पत्र, (iv) प्रमाण-पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि अधिकारी के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला लंबित या अवेक्षित नहीं है (v) कोई पेनल्टी नहीं प्रमाण-पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि अधिकारी के विरुद्ध पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई बड़ी/छोटी पेनल्टी नहीं लगाई गई है :

5. इच्छुक, सुयोग्य और पात्र अधिकारियों, और जिन्हें चयन होने पर तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन-पत्र श्री आलोक निगम, संयुक्त निदेशक, आर्थिक प्रशासन प्रभाग, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कमरा न. 4-E, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 के पास रोजगार समाचार/ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की अवधि में

प्रस्तुत किए जाने चाहिए, आवेदन अग्रेषित करते समय, यह भी सत्यापित और प्रमाणित किया जाये कि अधिकारियों द्वारा प्रेषित विवरण सही है, जो आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तरीके से कार्यालयाध्यक्षों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर के बगैर होंगे उन्हें सरसरी तौर पर ही नामंजूर कर दिया जाएगा |

6. अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद प्राप्त आवेदनों या ऊपर बताये अनुसार वा॰गो॰रि॰/ए॰पी॰ए॰आर॰, सतर्कता मुक्ति, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र, और बड़ी/छोटी पेनल्टी के विवरण, यदि अधिकारी पर पिछले 10 वर्षों के दौरान लगाईं गई है, के बगैर प्राप्त आवेदनों को अथवा अन्य प्रकार से अपूर्ण पाए गए आवेदनों को नामंजूर कर दिया जाएगा |

7. उक्त रिक्ति को कृप्या अपने विभाग/संगठन में व्यापक रूप से परिचालित करें | आवेदन प्रपत्र को इस विभाग की वेबसाइट **http://agricoop.nic.in/en/recruitment** से डाउनलोड किया जा सकता है |

भवदीय

(आलोक निगम)
संयुक्त निदेशक (ई॰ए॰)
दूरभाष:23384930

प्रतिलिपि:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग | यह अनुरोध किया जाता है कि रिक्ति को उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अधिनस्थ और संलग्न, अनुसंधान संस्थानों में प्रसारित कर व्यापक प्रचार दें |
2. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के सभी अधीनस्थ और संलग्न कार्यालय |
3. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय/आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय |
4. माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि रिक्ति को कृषि विश्वविद्यालयों के अलावा अन्य सभी केन्द्रीय / राज्य / डीम्ड विश्वविद्यालयों के बीच प्रसारित करें |
5. अध्यक्ष, सी.ए.सी.पी. को इस प्रार्थना के साथ कि जिन पात्र अधिकारियों की कमीशन को जानकारी है उन्हें बायोडेटा के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने के लिए कहें |
6. सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली | इस अनुरोध के साथ कि वह मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों आदि को रिक्ति परिचालित करें |
7. NIC, डी.ओ.पी.टी., नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करने केलिए।
8. NIC, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करने के लिए।

(आलोक निगम)
संयुक्त निदेशक (ई॰ए॰)

अनुबंध-।

जीवन वृत्त प्रपत्र

1. नाम व पद स्पष्ट अक्षरों में :	
2. जन्म तिथि (ईस्वी सन में):	
3. i) सेवा में आने की तिथि	
ii) केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख:	
4.शैक्षणिक अर्हताएं:	
5.क्या उक्त पद में लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य अर्हताएं संतोषजनक है (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समकक्ष माना गया है तो इसके लिए प्राधिकारी को विवरण दें)	
विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र के किए गए उल्लेख के अनुसार अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित अर्हता/अनुभव
अनिवार्य:	अनिवार्य:
(क) अर्हता (ख) अनुभव	(क) अर्हता (ख) अनुभव
वांछनीय:	वांछनीय:
(क) अर्हता	(क) अर्हता
(ख) अनुभव	(ख) अनुभव

5.1 टिप्पणी : इस कॉलम को रोजगार समाचार में परिपत्र मे जारी करने और विज्ञापन मे जारी करते समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा आर आर मे किए गए उल्लेख के अनुसार अनिवार्य और वांछित अर्हताओं में सुधार की आवश्यकता है । 5.2 डिग्री और स्नातकोत्तर अर्हताओं मे उम्मीदवार के द्वारा वैकल्पिक/ मुख्य विषय तथा सहायक विषय के बारे में बताया जाए

6.कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि आपके द्वारा दी गई उक्त प्रविष्टियों के संदर्भ में क्या आप पद के लिए निर्धारित अनिवार्य तथा कार्य अनुभव योग्यता को पूरा करते हैं ।	

6.1 उम्मीदवार द्वारा धारित अनिवार्य अर्हताओं/कार्य के अनुभव के संबंध में पुष्टि करते हुए उद्दयत विभाग आवेदित पद के संदर्भ में अपनी विशेष टिप्पणी/राय दें।(जैसा कि बायो –डाटा में उल्लेख किया गया है।)

7. काल क्रमानुसार रोजगार का विवरण, यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर से यथा अधिप्रमाणित एक पृथक शीट संलग्न करें :-

कार्यालय/संस्थान	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	आवेदित पर के लिए अपेक्षित कार्य का स्वरूप अपेक्षित अनुभव को दर्शाते हुए

महत्वपूर्ण : एसीपी/एमएसीपी के तहत दिया गया वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अधिकारी का व्यक्तिगत मामला है अत: इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान का ही उल्लेख किया जाए। वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन जहां उम्मीदवार द्वारा लाभ लिया गया है, के साथ एसीपी/एमएसीपी का ब्यौरा निम्न अनुसार दर्शाएं ।

कार्यालय/संस्थान	ए.सी.पी./ एम.ए.सी.पी.के आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	से	तक

8.वर्तमान रोजगार का स्वरुप अर्थात तदर्थ या अस्थाई या अर्धस्थायी या स्थायी:	
9.यदि मौजूदा रोजगार प्रतिनियुक्ति /संविदा के आधार पर धारित हो तो उल्लेख कीजिए:	

(क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि:	(ख)प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि:	(ग)मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंधित हैं:	(घ) पैतृक संगठन में नियमित आधार पर धारित पद का नाम तथा वेतन

9.1 टिप्पणी : यदि अधिकारी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर हैं तो ऐसे अधिकार का आवेदन मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग की अनापत्ति, सतर्कता निकासी और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र सहित भेजा जाना चाहिए।

9.2 टिप्पणी : उपर्युक्त कॉलम 9 (ग) ओर (घ) के अन्तर्गत उनके मूल कैडर/संगठन के अधिकार में रखते हुए कैडर/संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारित करने वाले व्यक्ति के सभी मामलों में सूचना दी जानी चाहिए।

--7/-

10.यदि आवेदक द्वारा विगत में प्रतिनियुक्ति पर कोई पद धारित किया गया हो तो पिछली प्रतिनियुक्ति से लौटने की तिथि तथा अन्य वितरण।	

11.वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण । कृपया उल्लेख करें कि क्या निम्नलिखित के तहत कार्य कर रहे हैं :- (क) केन्द्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) स्वायतशासी संगठन (घ) सरकारी उपक्रम (ङ) विश्वविद्यालय (च) अन्य	
12.कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में कार्यरत हैं और सम्पोषक श्रेणी में हैं या सम्पोषक श्रेणी के सम्पोषन में हैं ।	
13.क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां तो वह तारीख बताएं जब से संशोधन हुआ और संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें ।	
14.इस समय आहरित की जा रही प्रतिमास कुल परिलब्धियां:	

वेतन बैंड में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां

15.यदि आवेदक किसी संगठन से सम्बधित है जो केन्द्र सरकार के वेतनमान का अनुपालन नहीं करता है तो संगठन द्वारा जारी की गई अद्यतन वेतन पर्ची जमा कराए जिसमें निम्निलखित ब्यौरा दिया गया हो।

वेतनमान और वेतन वृद्धि दर के साथ मूल वेतन	मंहगाई भत्ता/अंतरिम राहत/ अन्य भत्ते (पूरे ब्यौरे के साथ) आदि	कुल परिलब्धियां

16- क. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो जिसे पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहेंगे इसमें (I) अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हता (II) व्यवसायिक प्रशिक्षण और (III) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित कार्य अनुभव के बारे में सूचना प्रदान करें (नोट: यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग शीट संलग्न कर सकते हैं।)	
16 (ख). उपलब्धियां: उम्मीदवार निम्नलिखित के संबंध में सूचना दर्शाए: (I) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट और विशेष परियोजना। (II) पुरस्कारों/छात्रवृत्तियों/ सरकारी प्रशस्तिपत्र (III) व्यवसायिक निकायों/संस्थानों/सोसाइटी के साथ संबंध; (IV) अपने नाम से या संगठन के लिए प्राप्त पंजीकृत पेटेंट (V) सहकारी मान्यता को शामिल करते हुए	

कोई अनुसंधान/नवीन उपाय (V) कोई अन्य सूचना (नोटः यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग शीट संलग्न कर सकते हैं।)	
17. कृपया उल्लेख करें क्या आप प्रतिनियुक्त (आईएसटीसी) आम्मेलन/पुनर्नियोजन के लिए आवेदन कर रहे हैं? (केंद्र/राज्य सरकारों के अंतर्गत अधिकारी ही 'आमेलन' के लिए पात्र है। गैर सरकारी संगठनों के उम्मीदवार अल्पावधि संविदा के पात्र है)	

#('एसटीसी'/आम्मेलन/पुनर्नियोजन का विकल्प उपलब्ध है यदि केवल रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से 'एसटीसी'अथा 'आम्मेलन' या 'पुनर्नियोजन'द्वारा रिक्ति का उल्लेख किया गया हो)''

18. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं	

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मैं इस बात से अच्छी प्रकार से अवगत हूं कि इस पद पर चयन के समय पर मेरे द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव से संबंधित दस्तावेजों से समर्थित जीवनवृत्त में प्रस्तुत सूचना चयन समिति द्वारा आकलित किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना/ब्यौरा सत्य है और मेरी जानकारी में सत्य है मेरे चयन पर कोई भी सत्य न ही छुपाया गया है और न ही रोका गया है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पता..

नियोक्ता/कैडर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणन

आवेदकों द्वारा प्रदत्त सूचना विवरण सही है और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्य सही हैं। वह रिक्ति परिपत्र में उल्लेख किए गए शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते है यदि चयन होता है तो उन्हें तत्काल छोड़ा जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:,

(i) श्री/श्रीमती .... के विरूद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामला लम्बित/विचारधीन नहीं है।

(ii) उनका/उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।

(iii) उनका/उनकी सीआर डोजियर मूल में संलग्न है/भारत सरकार के अवर सचिव अथवा उपर रैंक के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले 5 वर्ष के एसीआर की छाया प्रति संलग्न है।

(iv) पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ी/छोटी शस्ति नहीं लगाई गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान उनपर लगाई गई छोटी/बड़ी शास्ति की सूची संलग्न है। (जैसा भी मामला हो)

प्रतिहस्ताक्षर

____

(नियोक्ता /कैडर नियंत्रण प्राधिकारी, मोहर सहित)